FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अशोक कुमार जैन महात्मा
हाईस्कूल रोड, मैन बाजार रानी स्टेशन
जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रानी

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 90/2020
G.C.M.S. No. -2020/00300
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रानी ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 01/01/21 को पेश हो। जिला कलक्टर, पाली	1492-1493 04/12/20
1-1-21	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जो तह० रानी से सम्बन्धित थी वो उपलब्ध करायी गई है लेकिन अधिशाषी अधिकारी रानी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नही करायी गई इसके भी SDO रानी द्वारा अधिशाषी अभि० न०पा० रानी को लिखा जा चुका है। इस कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अधिशाषी अधिकारी न०पा० रानी सूचना समय पर उपलब्ध नही करावे तो अपीलार्थी को उनके विरुद्ध अपील करने हेतु लिखा जावे। जिसका अपीलीय अधिकारी चेयरमेन न०पा० रानी है। यह भी सूचित किया जावे। [illegible] सूचना अधिकारी उपखण्ड अधि० रानी [illegible] सूचना भी सूचना कोड [illegible] अपील के संदर्भ [illegible] कार्यवाही शेष नही रह जाने से यह अपील निरस्त की जाती है। उपखण्ड अधिकारी रानी एवं अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली इस न्यायालय के अनुसार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:39 IST
Reason: SelfAttested